न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
प्रार्थना -पत्र नम्बर 35/2022
प्रार्थना - पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

...न सिह बराड़ पुत्र अनूप सिह जाति जटसिख साकिन शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

मेजर सिह पुत्र सरवन सिह जाति जटसिख सा.शेरगढ़ तहसील संगरिया।
जसपालकौर पत्नी सरवन सिह जाति जटसिख सा.शेरगढ़ तहसील संगरिया।
पवनदीप सिह पुत्र जगजीत सिह जाति जटसिख सा.शेरगढ़ तहसील संगरिया।
रमनदीपकौर पुत्री जगजीत सिह जाति जटसिख सा.शेरगढ़ तहसील संगरिया।
...दीप कौर पत्नी जगजीत सिह जाति जटसिख सा.शेरगढ़ तहसील संगरिया।
...दार राजस्व, संगरिया

अप्रार्थीगण

—:आदेश:—

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ...नाम चक 15 एमकेएस खाता संख्या 76/3 में प.न. 171/230 मु.न.2 किला नं. 16/1/0.38..., .../1/0.0049, 24/4/0.0116, 25/1/0.1188 एवं पं.न. 171/231 मु.न. 03 किला नं. 1,2/0.506, 3/1/0.0881, 4/1/0.0294, 5/1/0.2401, 9/1/0.126, 10/0.253 इस प्रकार कुल 1.4166 है. भूमि दर्ज वर्तमान जमाबन्दी में है। मुझ प्रार्थी की भूमि मे से भारतमाला हाईवें निकल जाने के कारण मेरी भूमि दो भागों में बंट गई मेरी भूमि जो पं.न. 171/231 मु.न. 03 किला नं. 1,2/0.506 व किला नं. 3/1/0.0881, 9/1/0.126, 10/0.253 मे आने-जाने के लिए अर्थात आवागमन के लिए कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से प्रार्थी अपनी आराजी में सही ढ़ंग से काश्त नहीं कर सकता प्रार्थी को अपनी आराजी में आने-जाने/काश्त करने के लिए मन्जूर शुदा रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कृषि भूमि में से चक 15 एमकेएस पं.नं. 171/230 मु.नं. 02 किला नं. 21 मे 10 फुट चौडा नहर तक लम्बा रास्ता स्वीकृत कर इसी अनुसार चालु करवाना चाहता है। ताकि प्रार्थी अपनी भूमि में आवांगमन/काश्त कर सके।

प्रार्थना-पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये लेकिन बार-बार समय दिये जाने पर भी अपना कोई जवाब प्रस्तुत नही किया एवं अप्रार्थी सख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नही आया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 677 दिनांक 13.11.2024 द्वारा प्रार्थी का खेत पूर्व में रास्ते से लगता था वर्तमान में भारतमाला सड़क निकलने के कारण खेत के दो हिस्से होना व प्रार्थी को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की है।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्याधिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना-पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट्तया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 15 एमकेएस में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंधिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 15 एमकेएस के प.न. 171/230 मु.न. 2

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

ा न. 21 में 10 फुट चौड़ा व नहर सीमा तक लम्बा रास्ता डीएलसी की 2 गुणा राशि 15 दिवस में ोल कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाये तथा राशि जमा करवाये जाने के बाद प्रश्नगत रास्ता कृत शुमार समझा जावे और इसका अंकन गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया र चालू करवाया जावें। अप्रार्थी को जमा राशि का भुगतान उनके कब्जे अनुसार भू.अ.निरीक्षक की स्थिति में हल्का पटवारी द्वारा किया जाना सुनिशिचित करावे, तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा । पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 5.2.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास

सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner